अपील प्रकरण क्रमांक 941/2014

28.01.2015

अपीलार्थी श्री सन्नी देवांगन मदर टेरेसा नगर 16 क्वा के बाजू से वार्ड नं 22 कैंम्प 02 भिलाई जिला दुर्ग बगैर कोई सूचना के अनुपस्थित ।

प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी जिला पंजीयक जिला दुर्ग श्री एम. कोर्पे तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमती रीमा वर्मा उपस्थित।

अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2013 से जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही गई –

जिला पंजीयक कार्यालय दुर्ग से दिनांक 1.1.2012 से 30.12.2012 तक का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 4(1)(ख) के तहत जानकारी देने का कष्ट करें ।

(2) जनसूचना अधिकारी के द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर दिनांक 05.11.2013 को प्रथम अपील की गई । इसके उपरान्त द्वितीय अपील दिनांक 23.12.2013 को आयोग में प्रस्तुत की गई जिसमें उसके द्वारा जानकारी दिलाने तथा जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई।

(3) प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 121 दिनांक 27.01.2015 से प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित किया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि प्रथम अपील का निराकरण आदेश दिनांक 10.01.2014 से किया गया है जोकि निम्नानुसार है–

दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि आवेदक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत दिनांक 01.01. 2012 से 30.12.2012 तक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत 17 बिन्दु संबंधी जानकारी चाही गई है । सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानानुसार 17 बिन्दु संबंधी जानकारी लोक प्राधिकारी को बनाया जाना निर्धारित की गई है । चूंकि लोक प्राधिकारी महानिरीक्षक पंजीयन छत्तीसगढ रायपुर घोषित हैं अतः उक्त जानकारी पंजीयन एवं मुद्राक विभाग की कार्यवाही एवं विवरण पुस्तिका बनाई जाकर वर्ष 2005 में प्रकाशित कराया गया है तत्पश्चात इसे छत्तीसगढ शासन की वेबसाईट cgstate.gov.in के अर्न्तगत citizen information RTI ACT के अर्न्तगत विभागीय जानकारी डाली गई है जिसे समय समय पर अद्यतन कर अपलोड कराय जाता है। अक्टूबर 2013 तक जानकारी अपडेट की गई है आवेदक द्वाराचाही गई जानकारी लोक प्राधिकारी द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती है वेबसाईट पर अपलोड की गई जानकारी की सीडी अवलोकन हेतु अपीलार्थी को अपील क्रमांक 43/2013 में पारित आदेश के साथ संलग्न दी गई है तथा इसे शासन वेबसाईट cgstate.gov.in के अर्न्तगत citizen information RTI ACT पर भी अवलोकन कर सकते हैं तथा प्रकाशित पुस्तिका की छायाप्रति आवेदन को पत्र प्रकरण क्रमांक 51 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2014 के साथ उपलब्ध कराई गई है ।

अपील प्रकरण क्रमांक 941/2014

(4) जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र क्रमांक 55 दिनांक 24.01.2015 से आयोग को प्रतिवेदन भेजा गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही के लिए तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं जिला पंजीयक दुर्ग श्रीमती प्रियंका श्रीरंगे जिम्मेदार हैं । उनके द्वारा मौखिक यह भी बताया गया कि उनके द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर उसको कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

(5) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण का सही निराकरण कर अपीलार्थी को वांछित जानकारी उपलब्ध कराई गई है । सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) की कार्यवाही प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा की जानी है न कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा । लोक प्राधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी है अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही जानकारी प्रदाय करने के संबंध में शेष न रहने के कारण द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है ।

(6) तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्रीमती प्रियंका श्रीरंगे आयोग के इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को यह बतावे कि अपीलार्थी के आवेदन की जानकारी प्रदाय नहीं करने के कारण क्यों न उनके विरूद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रू 250 की दर से अधिकतम 25000/– रू की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे।

वर्तमान जनसूचना अधिकारी इस आदेश की प्रति श्रीमती प्रियका श्रीरंगे को तत्काल प्रेषित कर आयोग को उनकी वर्तमान पदस्थति से अवगत करावें ।

स्टाफ आफिसर जनसूचना अधिकारी के उत्तर हेतु नस्ती दिनांक 01.04.2015 को प्रस्तुत करें

सही/–
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त